

अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2014 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

• उपस्थिति :-

1. श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्ता, विभागीय जॉब, मुंगेर।
3. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. डॉ० ईश्वरचन्द्र शर्मा, अपर समाहर्ता, मुंगेर।
5. श्री बी०बी० तिवारी, जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर।
6. श्री रवीन्द्र नाथ, प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, मुंगेर।
7. अमजद अली, निदेशक, एन०ई०पी०, मुंगेर।
8. नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
9. श्री प्रमोद कुमार, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
10. श्री विजय कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
11. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
12. श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
13. श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर।
14. श्री अनिल कुमार राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
15. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
16. श्री कुन्दन कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, MDM, मुंगेर।
17. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
18. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
19. मु० खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
20. श्री नीतीश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, मुंगेर।

• अवकाश/अन्य विशेष कार्य अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
2. श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, डी०आर०डी०ए०, मुंगेर।
3. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, मुंगेर।
4. श्री अशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
5. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
6. श्री प्रताप भानू, वरीय कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर।
7. श्री राजेश कुमार सिंह, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मुंगेर।
8. श्री आर०पी० भारती, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थिति की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति हेतु स्पष्टीकरण पूछा जाए।

विधि शाखा :-

बैठक प्रारंभ होने के पश्चात् विभिन्न पदाधिकारियों के स्तर से लंबित CWJC/MJC/LPAवादों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रत्येक साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के स्तर से लंबितवादों एवं विधि शाखा द्वारा सूचीबद्ध लंबितवादों में अन्तर पाया जा रहा है, जिसपर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रत्येक बैठक में अन्तर आ रहेवादों को जिला विधि शाखा में सूचीबद्धवादों से मिलान कर अद्यतन करने का आश्वासन मात्र दिया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समय का दुरुपयोग करते हुए एकमात्र सूची को अद्यतन करने की ही परिचर्चा की जाती है, जबकि विगत चार-पांच साप्ताहिक समीक्षा बैठकों से उन्हें निदेश दिया जा रहा है किवादों के परिलक्षित अन्तर को अद्यतन करते हुए लंबितवादों के निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। परन्तु बारम्बार प्रदत्त निदेश का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि वे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में रुचि नहीं रखते हैं तथा उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करते हैं। इस प्रकार का कृत्य एक सरकारी सेवक के खेदपूर्ण एवं आपत्तिजनक आचरण को इंगित करता है। इस हेतु अंतिम रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आज संध्या में अपने कार्यालय में संधारित सूची के साथ स्वयं जिला विधि शाखा, मुंगेर में समय देते हुए विधि शाखा में संधारित लंबितवादों से मिलान कर सूची को अद्यतन करते हुए निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आगामी बैठक में यदि पुनः सूची को अद्यतन कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया तो बाध्य होकर आपके द्वारा कार्य में बार-बार लापरवाही बरतने के लिए विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में MJC के लंबित 02 मामलों में 01 MJC का गलत नम्बर होने की वजह से trace कर पाना संभव नहीं हो रहा है। अतः उक्त वाद के अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।

इसी क्रम में द्वितीय सर्वाधिक लंबित वादों में सिविल सर्जन, मुंगेर द्वारा बताया गया कि MJC के 02 लंबित वादों में 01 वाद जमुई जिला से संबंधित है, जिसे वापस करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

बैठक के दौरान यह ज्ञात होना खेदजनक है कि विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों द्वारा CWJC/MJC/LPA के लंबित वादों की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मुंगेर को उपलब्ध कराने के बावजूद बैठक दिवस को समीक्षा हेतु तैयार सूची को अद्यतन नहीं किया जाता है तथा बैठक दिवस को प्रतिवेदनों के अन्तर को अद्यतन करने की चर्चा पर ही समय व्यतीत हो जाता है। यह स्थिति खेदजनक है। इस निमित्त प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि आगामी सप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों के अनुसार लंबित वादों की सूची को अद्यतन कर ही बैठक दिवस को समर्पित किया जाए।

सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले नए वादों को भी लंबित वादों की सूची में शामिल करते हुए निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण वादों, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही निष्पादित किया जाना है, का दैनिक रूप से समीक्षा करते हुए निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

**जिला जन शिकायत कोषांग :-**

जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 09.08.14 तक के प्रतिवेदानुसार मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग तथा जिला जनता दरबार के लंबित आवेदनों की पदाधिकारीवार स्थिति निम्नवत् है :-

| क्र० | पदाधिकारी/विभाग का नाम             | मुख्यमंत्री सचिवालय |                 |            | जिला जनता दरबार |                 |             |
|------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
|      |                                    | भेजे गये आवेदन      | निष्पादित आवेदन | लंबित      | भेजे गये आवेदन  | निष्पादित आवेदन | लंबित       |
| 1    | नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर       | 27                  | 19              | 8          | 723             | 330             | 393         |
| 2    | अपर समाहर्ता, मुंगेर               | 68                  | 61              | 7          | 189             | 110             | 79          |
| 3    | उप विकास आयुक्त, मुंगेर            | 25                  | 10              | 15         | 488             | 193             | 295         |
| 4    | सिविल सर्जन, मुंगेर                | 65                  | 48              | 17         | 482             | 214             | 268         |
| 5    | जिला स्थापना शाखा                  | 13                  | 12              | 01         | 172             | 96              | 76          |
| 6    | जिला विधि शाखा                     | 4                   | 1               | 3          | 71              | 30              | 41          |
| 7    | जिला सामान्य शाखा                  | 6                   | 1               | 5          | 147             | 75              | 72          |
| 8    | जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर | 17                  | 6               | 11         | 164             | 58              | 106         |
| 9    | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर     | 10                  | 9               | 1          | 225             | 105             | 120         |
| 10   | जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर      | 59                  | 35              | 24         | 590             | 114             | 476         |
| 11   | जिला आपदा प्रबंधन, मुंगेर          | 11                  | 7               | 4          | 127             | 44              | 83          |
| 12   | भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर         | 17                  | 10              | 7          | 489             | 208             | 281         |
| 13   | जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर         | 4                   | 2               | 2          | 21              | 9               | 12          |
| 14   | उप निर्वाचन पदाधिकारी              | 2                   | 1               | 1          | 42              | 27              | 15          |
| 15   | जिला भू-अर्जन                      | 0                   | 0               | 0          | 39              | 19              | 20          |
| 16   | जिला शस्त्र शाखा                   | 2                   | 1               | 1          | 70              | 45              | 25          |
| 17   | जिला प्रोग्राम ICDS                | 6                   | 1               | 5          | 500             | 224             | 276         |
| 18   | जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर       | 8                   | 0               | 8          | 59              | 11              | 48          |
| 19   | प्रभारी पदा०, MDM                  | 0                   | 0               | 0          | 17              | 4               | 13          |
| 20   | महादलित कल्याण पदाधिकारी           | 2                   | 1               | 1          | 3               | 0               | 3           |
| 21   | जिला जनसंपर्क पदाधिकारी            | 1                   | 0               | 1          | 1               | 0               | 1           |
|      | <b>कुल</b>                         | <b>337</b>          | <b>216</b>      | <b>121</b> | <b>4619</b>     | <b>1916</b>     | <b>2703</b> |

बैठक में उपस्थापित प्रतिवेदनानुसार यह ज्ञात हुआ कि कई कार्यालयों, जहाँ काफी कम संख्या में मुख्यमंत्री सचिवालय से आवेदन प्राप्त हुए हैं, का भी निष्पादन विगत कई सप्ताहों से नहीं किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि कम संख्या होने की वजह से प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विशेष अभिरुचि नहीं ली जा रही है। अतः संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए आगामी सप्ताह के पूर्व निश्चित रूप से निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदनों में से सर्वाधिक लंबित आवेदन, क्रमशः जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के 24, सिविल सर्जन, मुंगेर के 17, उप विकास आयुक्त, मुंगेर के 15, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के 11 हैं, जिससे परिलक्षित हुआ कि उक्त पदाधिकारियों द्वारा गत सप्ताह में काफी कम आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जो चिंताजनक है। समेकित रूप से गणनोपरान्त उपरोक्त पदाधिकारियों के स्तर से लंबित 122 आवेदनों/कुल लंबित आवेदनों का 55.37% होता है। उपरोक्त पदाधिकारियों के स्तर से मुख्यमंत्री सचिवालय से संबंधित आवेदनों की इतनी अधिक संख्या में लंबित रहना उचित नहीं है तथा उक्त आवेदनों का निष्पादन किए जाने से लंबित पत्रों की प्रतिशत में हास होगा। अतः निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी विशेष अभिरुचि लेकर लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराएँ।

#### **RTPS :-**

समीक्षा बैठक के दौरान आईटी0 प्रबंधक, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि जिला में समय सीमा पार (Expired) 1489 आवेदनों में अधिकांश आवेदन सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित है जो प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर लंबित है। कुल लंबित आवेदनों की प्रखंड/अंचलवार समीक्षा करने पर पाया गया कि असरगंज- 163, बरियारपुर-22, धरहरा अंचल-99, धरहरा प्रखंड-239, सदर-111, खड़गपुर-73, टेटियाबम्बर-13 आवेदन लंबित हैं। उक्त परिस्थिति में यह ज्ञात होना चिंताजनक है कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अपील दायर करने की कार्रवाई काफी नगण्य है। विदित हो कि दिनांक 14.08.2014 तक ही सभी प्रकार के प्रतिवेदनों को अपलोड करने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। अतः निदेश दिया जाता है कि प्रखंडों में लंबित समय सीमा पार आवेदनों के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अपीलीय प्राधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-अपीलीय प्राधिकार अपने स्तर से suo-moto दायर कर संबंधित दोषी कर्मों के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित करते हुए दण्डनीय राशि की वसूली सुनिश्चित कराएँगे।

#### **मानवाधिकार :-**

समीक्षा के दौरान सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानवाधिकार आयोग से प्राप्त होने वाले पत्रों को प्राथमिकता देते हुए साप्ताहिक कार्य योजना में शामिल करते हुए नियमित रूप से समीक्षा करते हुए निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे।

#### **लोकायुक्त :-**

समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि लोकायुक्त के सर्वाधिक लंबित मामले अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के स्तर से हैं। इस निमित्त प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सुविधानुसार आगामी सप्ताह के किसी दिवस को एक संक्षिप्त बैठक आयोजित कर अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर को संबंधित सभी संचिकाओं के साथ भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे, ताकि मामलों का निष्पादन तीव्रता से किया जा सके।

#### **प्रखंड/अंचल का निरीक्षण :-**

पूर्व सम्पन्न कइ बैठकों में यह निदेश दिया गया था कि प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सप्ताह में कम-से-कम एक बार अपने प्रभार के प्रखंड/अंचल के कार्यों, सुविधानुसार प्रति सप्ताह प्रखंड/अंचल में कार्यान्वित किसी एक योजना, की समीक्षा कर निरीक्षण टिप्पणी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे। परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत सप्ताह में धरहरा एवं तारापुर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी (Mentor) द्वारा प्रखंड एवं अंचल को छोड़कर किसी भी वरीय पदाधिकारी (Mentor) द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण नहीं किया गया है, जो खेदजनक है। इस प्रकार का कृत्य क्षम्य योग्य नहीं है। अतः निदेश दिया जाता है कि गत सप्ताह में जिन वरीय पदाधिकारी (Mentor) द्वारा अपने आवंटित प्रखंड/अंचल का निरीक्षण नहीं किया गया है, उनसे इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

साप्ताहिक समीक्षा हेतु विहित प्रपत्रानुसार प्रतिवेदन :-

| विभाग/कार्यालय का नाम | पत्रों का निष्पादन |            | जनशिकायत         |            | वि०सभा०/परि० प्रश्नावली |            | मानवाधिकार/ लोकायुक्त |             | CWJC/MJC/LP A |           | सेवान्त लाभ |             | सप्ताहान्त कुल निष्पादित पत्रों की सं० |
|-----------------------|--------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--|
|                       | कुल प्राप्त पत्र   | लंबित पत्र | कुल प्राप्त पत्र | लंबित पत्र | कुल प्राप्त पत्र        | लंबित पत्र | कुल मामले             | लंबित मामले | कुल वाद       | लंबित वाद | कुल मामले   | लंबित मामले |  |
| जिला भू-अर्जन         | 22                 | 16         | 17               | 15         | 0                       | 0          | 0                     | 0           | 2             | 2         | 2           | 1           | 9                                      |
| जिला सामान्य          | 201                | 129        | 2                | 2          | 4                       | 3          | 54                    | 54          | 0             | 0         | 0           | 0           | 73                                     |
| सामाजिक सुरक्षा       | 49                 | 46         | 0                | 0          | 1                       | 1          | 0                     | 0           | 1             | 1         | 1           | 1           | 3                                      |
| जिला खास महाल         | 0                  | 0          | 0                | 0          | 0                       | 0          | 0                     | 0           | 0             | 0         | 0           | 0           | 0                                      |
| जिला नजारत            | 38                 | 30         | 1                | 1          | 0                       | 0          | 0                     | 0           | 0             | 0         | 0           | 0           | 8                                      |
| बंदोवस्त              | 11                 | 6          | 0                | 0          | 0                       | 0          | 0                     | 0           | 0             | 0         | 1           | 1           | 5                                      |
| जिला योजना            | 23                 | 12         | 55               | 55         | 0                       | 0          | 0                     | 0           | 0             | 0         | 0           | 0           | 11                                     |
| जिला राजस्व           | 24                 | 4          | 8                | 7          | 0                       | 0          | 2                     | 2           | 2             | 2         | 0           | 0           | 21                                     |
| जिला प्रोग्राम        | 0                  | 0          | 25               | 23         | 12                      | 12         | 0                     | 0           | 27            | 27        | 0           | 0           | 2                                      |
| अल्पसंख्यक कल्याण     | 5                  | 5          | 0                | 0          | 0                       | 0          | 0                     | 0           | 0             | 0         | 0           | 0           | 0                                      |
| नीलाम पत्र            | 7                  | 0          | 0                | 0          | 0                       | 0          | 0                     | 0           | 0             | 0         | 0           | 0           | 7                                      |

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित कार्यालय/शाखा से सप्ताहान्त प्रतिवेदन अप्राप्त पाए गए हैं :-  
DRDA/जिला पंचायत राज/विधि/आपूर्ति/शस्त्र/निर्वाचन/स्थापना/कल्याण/बैंकिंग/शिक्षा/स्वास्थ्य/विभागीय जाँच/माल सेस/ खनन/राज्य खाद्य निगम/सैनिक कल्याण/मध्याह्न भोजन योजना। उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व (यथासंभव शनिवार की संध्या तक) विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा, में उपलब्ध कराया जाए, ताकि संकलित प्रतिवेदन के आधार पर विस्तृत समीक्षा किया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

रु /

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक-20-07/14-~~2225~~9983/गो०, मुंगेर, दिनांक...12.08.2014

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, मुंगेर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मुंगेर/आई०टी० प्रबंधक, मुंगेर एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमरेन्द्र प्रसाद सिंह  
11.8.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।